



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE: SEPTEMBER 14, 2026



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के शस्त्रीकरण पर चेतावनी दी	2
2. ब्रिक्स का दोहरावपूर्ण रवैये (Double Standards) के खिलाफ आह्वान और अनाज व्यापार का प्रस्ताव	4
3. बढ़ते यमन संघर्ष के बीच हथियों ने सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया.....	5
3A. 2029 से पहले सभी 21 एनडीए राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी	7
4. ग्लोबल साउथ को संयुक्त रूप से बेहतर शासन संरचना को आगे बढ़ाना चाहिए: पुतिन.....	8
5. आज होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान और खाड़ी परिषद के बीच होगी चर्चा: ईरान-यूएई बैठक पर पेज़ेशिकियान...9	
6. सदस्यों ने रोगजनक (Pathogen) अनुसंधान और पहुंच पर सहयोग का आह्वान किया.....	11
7. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग का समर्थन किया	12
8. वैश्विक आतंकवाद का विकास और भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में बदलाव	13
9. पाकिस्तान का पश्चिम की ओर झुकाव — रणनीतिक गहराई या अत्यधिक फैलाव	15
10. ब्रिक्स (BRICS) में, भारत को NDB पर भरोसा करना चाहिए	16
11. विकृत शक्ति संबंध सुरक्षा परिषद को गैर-कार्यात्मक बनाते हैं: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख	18
12. इस साल अक्टूबर-दिसंबर के दौरान एलनिनो चरम पर होगा: अमेरिकी जलवायु एजेंसी.....	19

SIXSIGMA IAS
Dream | Dare | Deliver

1. पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के शस्त्रीकरण पर चेतावनी दी

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- शस्त्रीकरण के खिलाफ चेतावनी:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों की पहुंच के "शस्त्रीकरण" (weaponisation) के खिलाफ आगाह किया और कहा कि यह साझा वैश्विक प्रगति में बाधा डालता है।
- ठोस कार्यों पर ध्यान:** अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा 11-सदस्यीय ब्रिक्स (BRICS) समूह अब "केवल विचारों" से आगे बढ़कर ठोस परिणाम और प्रतिबद्धताएं देने की दिशा में स्थानांतरित होना चाहिए।

- **ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव:** ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि उनकी आवाजें सुनी जा रही हैं और समाधान थोपे जाने के बजाय मिलकर विकसित किए जा रहे हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन:** वैश्विक व्यवधानों, महामारियों और जलवायु आपदाओं के खिलाफ आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए नई पहलों को रेखांकित किया गया।
- **परस्पर जुड़े जोखिम:** इस बात पर जोर दिया गया कि एक परस्पर जुड़ी दुनिया में, क्षेत्रीय संकट, जलवायु चुनौतियां और व्यवधान वैश्विक स्तर पर आम जीवन को प्रभावित करते हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals):** गैर-ईंधन खनिज तत्व (जैसे लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व) जो आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
- **प्रौद्योगिकी/खनिजों का शस्त्रीकरण:** अन्य राष्ट्रों पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में तकनीकी एकाधिकार या महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति प्रभुत्व का रणनीतिक उपयोग करना।
- **ग्लोबल साउथ:** मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया में स्थित विकासशील, उभरते या आर्थिक रूप से वंचित राष्ट्रों को संदर्भित करने वाला एक भू-राजनीतिक शब्द।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देने का आदेश देता है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की विशेष रूप से नीलामी और विकास करने का अधिकार देता है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (National Critical Minerals Mission):** भारत का घरेलू नीति ढांचा जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के अन्वेषण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण को बढ़ाना है।

निष्कर्ष

प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के शस्त्रीकरण से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग और समावेशी शासन की आवश्यकता है। जैसे-जैसे ब्रिक्स अपना विस्तार कर रहा है, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और न्यायसंगत प्रौद्योगिकी पहुंच को प्राथमिकता देना वैश्विक आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने और ग्लोबल साउथ के विकास का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों का प्रभाव)।

- **GS पेपर III:** अर्थव्यवस्था और सुरक्षा (बुनियादी ढांचा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, औद्योगिक विकास, खनिज संसाधन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण)।

2. ब्रिक्स का दोहरावपूर्ण रवैये (Double Standards) के खिलाफ आह्वान और अनाज

व्यापार का प्रस्ताव

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **दोहरे मापदंडों की अस्वीकृति:** चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स देशों से "ग्लोबल साउथ को एकजुट करने" और बढ़ती वैश्विक अस्थिरता के बीच दोहरे मापदंडों से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की दिशा में काम करने का आग्रह किया।
- **पांच-सूत्रीय तकनीकी पहल:** शी जिनपिंग ने ब्रिक्स समूह के डिजिटल भविष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पांच-सूत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्मार्ट मैनुफैक्चरिंग पहल का प्रस्ताव रखा।
- **अनाज बाजार का प्रस्ताव:** पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना करते हुए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सदस्य देशों और ग्लोबल साउथ में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सहयोगात्मक ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज बनाने का सुझाव दिया।
- **वैकल्पिक वित्तीय और रसद मार्ग:** पुतिन ने बाहरी व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी की आवाजाही हेतु स्वतंत्र चैनलों के साथ-साथ एक स्वतंत्र ब्रिक्स बीमा तंत्र स्थापित करने की वकालत की।
- **स्थिरता प्रदान करने वाली वैश्विक शक्ति:** सदस्य नेताओं ने दोहराया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जोखिमों और बाहरी भू-राजनीतिक दबावों से निपटने के लिए ब्रिक्स को एक सक्रिय, सकारात्मक और बहुपक्षीय शक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **कूटनीति में दोहरे मापदंड (Double Standards in Diplomacy):** समान भू-राजनीतिक स्थितियों के लिए सिद्धांतों या नियमों के अलग-अलग सेट लागू करना, जो आमतौर पर विकासशील देशों की तुलना में शक्तिशाली राष्ट्रों का पक्ष लेते हैं।
- **अनाज एक्सचेंज / व्यापार तंत्र:** गेहूं और मक्का जैसी कृषि वस्तुओं में संस्थागत व्यापार को सुविधाजनक बनाने, मूल्य स्थिरता और खाद्य आपूर्ति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष व्यापारिक मंच।
- **बहुपक्षवाद (Multilateralism):** वैश्विक शासन का एक ढांचा जहां कई देश एकपक्षीय शक्ति गतिशीलता के बजाय साझा नियमों का पालन करते हुए समन्वित कार्रवाई करते हैं।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
- **विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992:** भारत की विदेश व्यापार नीतियों, आयात-निर्यात नियंत्रण और बहुपक्षीय कमोडिटी प्लेटफॉर्मों में एकीकरण को नियंत्रित करने वाला कानून।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संप्रभु समानता के सिद्धांत (अनुच्छेद 2):** अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुख्य कानूनी सिद्धांत जो आकार या शक्ति की परवाह किए बिना सभी सदस्य राज्यों के बीच समान अधिकारों और गैर-हस्तक्षेप का आदेश देता है।

निष्कर्ष

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रस्ताव ग्लोबल साउथ के लिए रणनीतिक स्वायत्तता की ओर एक निर्णायक बदलाव को रेखांकित करते हैं। खाद्यान्न जैसे आवश्यक वस्तुओं में अंतर-ब्लॉक व्यापार को मजबूत करके और स्वतंत्र वित्तीय प्रणालियों की स्थापना करके, ब्रिक्स का लक्ष्य सदस्य देशों को एकतरफा प्रतिबंधों और वैश्विक शासन में संस्थागत पूर्वाग्रहों से अलग करना है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव)।
- **GS पेपर III:** अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; खाद्य सुरक्षा चुनौतियां)।

3. बढ़ते यमन संघर्ष के बीच हूथियों ने सऊदी अरब पर नए हमलों का दावा किया

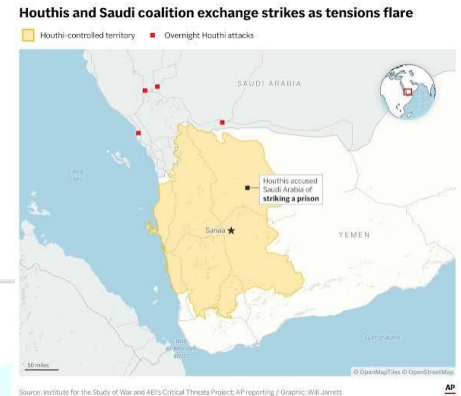
मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सीमा पार मिसाइल और ड्रोन हमले:** ईरान-सुरेखित हूथी मिलिशिया ने शरूरा प्रांत और नजरान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सऊदी अरब के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा किया।
- **नागरिक और बुनियादी ढांचे की क्षति:** सऊदी नागरिक सुरक्षा ने लाल सागर सीमा के पास अल-तवाल गवर्नर में एक प्रक्षेप्य (projectile) हमले की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय बुनियादी ढांचे को चोटें आईं और संरचनात्मक क्षति हुई।
- **हूथियों की क्षेत्रीय बढ़त:** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकारी बलों ने लाल सागर तट के साथ विद्रोहियों की तेज बढ़त को चल रहे युद्ध में एक महत्वपूर्ण और दर्दनाक झटका बताया।
- **वैश्विक समुद्री व्यापार को खतरा:** लाल सागर तट और महत्वपूर्ण बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर हूथी नियंत्रण ने वैश्विक बाजार की अस्थिरता को बढ़ा दिया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की आशंकाओं के कारण तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं।

- **यमनी सरकार की लामबंदी:** यमन के प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के सुल्तान अल-अरदा ने कहा कि सरकारी बल वर्तमान में जवाबी हमला करने और तटीय क्षेत्रों को वापस हासिल करने के लिए फिर से संगठित हो रहे हैं।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **हूथी आंदोलन (अंसार अल्लाह):** यमन में एक ईरान-सुरक्षित ज़ैदी शिया राजनीतिक और सशस्त्र आंदोलन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है।
- **बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य:** लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट, जो वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **गैर-राज्य अभिनेता (Non-State Actors):** ऐसे समूह या व्यक्ति जो महत्वपूर्ण राजनीतिक या सैन्य प्रभाव रखते हैं लेकिन किसी स्थापित संप्रभु राज्य से संबद्ध या सत्यापित नहीं होते हैं।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2216:** यमन की शांति, सुरक्षा या स्थिरता को कमजोर करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है और हूथियों द्वारा हिंसा को तुरंत समाप्त करने की मांग करता है।
- **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS):** अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्दोष जलयान (innocent passage) के अधिकार की गारंटी देता है, जिससे समुद्री सुरक्षा और वाणिज्यिक पारगमन की रक्षा होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और न्यायसंगत और सम्मानजनक अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

यमन में सीमा पार हमलों में वृद्धि और क्षेत्रीय बदलाव व्यापक पश्चिम एशियाई स्थिरता और वैश्विक आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। आपूर्ति श्रृंखला के बड़े व्यवधानों को रोकने के लिए बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स की सुरक्षा के लिए समन्वित कूटनीतिक हस्तक्षेप और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के पालन की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतरराष्ट्रीय संबंध (पश्चिम एशिया संघर्ष, क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत के रणनीतिक हितों और प्रवासी भारतीयों पर वैश्विक घटनाओं का प्रभाव)।
- **GS पेपर III:** अर्थव्यवस्था और सुरक्षा (ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की संवेदनशीलता, और कच्चे तेल की कीमत में उतार-चढ़ाव)।

3A. 2029 से पहले सभी 21 एनडीए राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू होगी

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- यूसीसी कार्यान्वयन समयरेखा:** केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले सभी 21 भाजपा-नेतृत्व वाले एनडीए शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के संकल्प की घोषणा की।
- मणिपुर एनआरसी पर परामर्श:** केंद्र सरकार मणिपुर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के कार्यान्वयन के संबंध में गठबंधन सहयोगियों और क्षेत्रीय हितधारकों के साथ चर्चा में सक्रिय रूप से शामिल है।
- प्रमुख लैंगिक और कानूनी सुधार:** महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तीन तलाक के उन्मूलन और एक वर्ष के भीतर 30 प्रतिशत सजा दर के साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रभावी प्रवर्तन सहित ऐतिहासिक सुधार उपायों पर प्रकाश डाला।
- सुरक्षा मुद्दों पर शून्य-सहनशीलता (Zero-Tolerance):** संचालन संबंधी दृढ़ता प्रदर्शित करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए, नक्सलवाद, आतंकवाद और सीमा पार खतरों के खिलाफ सरकार के कड़े रुख को दोहराया।
- अवैध अप्रवासन के खिलाफ अभियान:** सभी बिना दस्तावेज वाले विदेशी व्यक्तियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति का उल्लेख किया, विशेष रूप से बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों का जिक्र किया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- समान नागरिक संहिता (UCC):** विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और वसीयत जैसे नागरिक मामलों को सभी धार्मिक समुदायों में समान रूप से नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिगत कानूनों का एक समूह।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC):** सभी वास्तविक भारतीय नागरिकों का विवरण रखने वाला एक आधिकारिक रजिस्टर, जिसका उद्देश्य बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना और उन्हें विनियमित करना है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS):** नया लागू हुआ वैधानिक आपराधिक कोड जिसने भारतीय दंड संहिता, 1860 का स्थान लिया, जो आपराधिक न्यायशास्त्र और न्याय वितरण का आधुनिकीकरण करता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 (DPSP):** आदेश देता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
- सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि 5, समवर्ती सूची):** संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित व्यक्तिगत कानूनों पर दोहरी क्षेत्राधिकार शक्ति प्रदान करती है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14A:** केंद्र सरकार को भारत के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने और भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने का अधिकार देती है।

निष्कर्ष

विभिन्न राज्यों में समान नागरिक संहिता का प्रस्तावित रोलआउट, मजबूत आंतरिक सुरक्षा ढांचे और नागरिकता रजिस्ट्रों के साथ, कानूनी एकरूपता और सीमा प्रशासन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। मौलिक अधिकारों, क्षेत्रीय संवेदनाओं और संघीय सिद्धांतों के साथ इन प्रणालीगत कानूनी सुधारों को संतुलित करना राष्ट्रीय एकीकरण और लोकतांत्रिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए आवश्यक रहेगा।

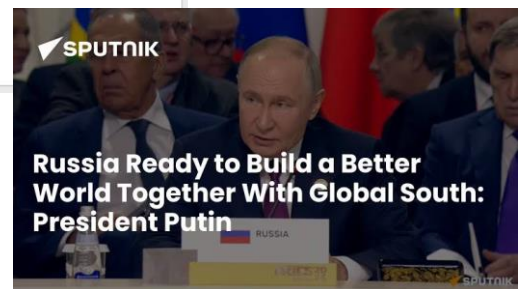
UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** राजव्यवस्था और शासन (अनुच्छेद 44 DPSP, संघीय ढांचा, समवर्ती सूची विधान, चुनावी और प्रशासनिक सुधार, नागरिकता प्रावधान)।
- **GS पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा (सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी, वामपंथी उग्रवाद का शमन, आपराधिक न्याय प्रणाली में कानूनी सुधार)।

4. ग्लोबल साउथ को संयुक्त रूप से बेहतर शासन संरचना को आगे बढ़ाना चाहिए: पुतिन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **वैश्विक शासन सुधार का आह्वान:** रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल साउथ के देशों से पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों सुरक्षा खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त रूप से एक बेहतर वैश्विक शासन संरचना को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।
- **शस्त्रीकरण के खिलाफ चेतावनी:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशिता और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं की तत्काल आवश्यकता पर बल देते हुए "प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों के शस्त्रीकरण" के खिलाफ चेतावनी दी।
- **रणनीतिक एकाधिकार की चिंताएं:** मोदी के बयान महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति नेटवर्क पर चीन के प्रभुत्व और अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक प्रौद्योगिकी संघर्ष का एक अप्रत्यक्ष संदर्भ थे।
- **ओपन-सोर्स एआई पारिस्थितिकी तंत्र:** चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पांच-सूत्रीय पहल के हिस्से के रूप में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए एक ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का नेतृत्व करने की बीजिंग की योजना की घोषणा की।
- **एकतरफा प्रभुत्व की अस्वीकृति:** शी जिनपिंग ने जोर देकर कहा कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" (might makes right) के भू-राजनीतिक तर्क को खारिज किया जाना चाहिए, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से बने एक बड़े एकीकृत बाजार की वकालत की।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **ग्लोबल साउथ:** एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मुख्य रूप से न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की वकालत करने वाले विकासशील, उभरते और आर्थिक रूप से विकासशील देशों का एक सामूहिक भू-राजनीतिक नाम।

- **ओपन-सोर्स एआई पारिस्थितिकी तंत्र:** एक सहयोगात्मक ढांचा जहां पारदर्शी अनुकूलन और संयुक्त तकनीकी प्रगति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोर्स कोड, मॉडल और आर्किटेक्चर सार्वजनिक रूप से साझा किए जाते हैं।
- **गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे:** गैर-सैन्य स्रोतों से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा जोखिम, जैसे आर्थिक दबाव, साइबर युद्ध, जलवायु आपदाएं, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और प्रौद्योगिकी एकाधिकार।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने का निर्देश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 3281 (राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर):** अपनी संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों पर पूर्ण स्थायी संप्रभुता का प्रयोग करने का प्रत्येक राज्य का संप्रभु अधिकार स्थापित करता है।
- **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन:** घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता को सुरक्षित करने और रणनीतिक कच्चे माल पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया भारत का विनियामक ढांचा।

निष्कर्ष

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चर्चाएँ वैश्विक शासन में संरचनात्मक बदलाव की अनिवार्यता को उजागर करती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने, आर्थिक शोषण को रोकने और एक संतुलित, बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला की स्वतंत्रता के साथ तकनीकी सहयोग को संतुलित करना ग्लोबल साउथ के लिए आवश्यक है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह; भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव; ग्लोबल साउथ कूटनीति)।
- **GS पेपर III:** प्रौद्योगिकी और सुरक्षा (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ)।

5. आज होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान और खाड़ी परिषद के बीच होगी चर्चा: ईरान-यूई बैठक पर पेज़ेशिकयान

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ऐतिहासिक द्विपक्षीय बातचीत:** ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशिकयान ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान "अतीत को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर देखने" के समझौते की घोषणा की।

- **तनाव के बाद पहली बैठक:** यह बातचीत हाल के पश्चिम एशिया संघर्ष के भड़कने के बाद ईरानी और यूएई नेतृत्व के बीच पहली आमने-सामने की बैठक है।
- **ब्रिक्स संयुक्त घोषणापत्र पर सहमति:** दोनों पक्ष दोनों देशों की क्षेत्रीय संवेदनाओं को समायोजित करते हुए नई दिल्ली में अपनाए गए ब्रिक्स संयुक्त घोषणापत्र के साथ संरेखित होने पर सहमत हुए।
- **होर्मुज पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श:** ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच राजनयिक वार्ता होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा, नौवहन सुरक्षा और पारगमन व्यवस्था पर केंद्रित है।
- **वैश्विक शक्तियों के साथ जुड़ाव:** खाड़ी देशों से संपर्क के अलावा, ईरान ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने के लिए रूस और चीन के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz):** फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जो वैश्विक पेट्रोलियम खपत के लगभग पाँचवें हिस्से का संचालन करता है।
- **खाड़ी सहयोग परिषद (GCC):** सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन से मिलकर बना एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ।
- **तनाव कम करने की कूटनीति (De-escalation Diplomacy):** सैन्य तनाव को कम करने और क्षेत्रीय सशस्त्र संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से की जाने वाली रणनीतिक विश्वास-निर्माण उपाय और उच्च-स्तरीय वार्ताएँ।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **UNCLOS भाग III (पारगमन मार्ग):** अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्य को नियंत्रित करता है, जो तटीय राज्य की बाधा के बिना सभी जहाजों को निरंतर और शीघ्र नौवहन का अधिकार प्रदान करता है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करने का निर्देश देता है।
- **प्रादेशिक समुद्र पर 1958 का जेनेवा सम्मेलन:** क्षेत्रीय जल सीमा के भीतर निर्दोष जलयान (innocent passage) के अधिकारों के संबंध में गैर-अनुमोदनकारी राज्यों द्वारा लागू किया गया ढांचा।

निष्कर्ष

होर्मुज जलडमरूमध्य पर पूरे खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के स्तर की वार्ता के साथ-साथ ईरान और यूएई के बीच प्रत्यक्ष राजनयिक चैनलों की बहाली, क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है। इस महत्वपूर्ण चोकपॉइंट के माध्यम से निर्बाध समुद्री यातायात सुनिश्चित करना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को बनाए रखने और आगे के आर्थिक झटकों को रोकने के लिए अनिवार्य बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत से जुड़े द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह, पश्चिम एशिया भू-राजनीति, राजनयिक संघर्ष समाधान, और वैश्विक समुद्री शासन)।
- **GS PAPER III:** सुरक्षा और अर्थव्यवस्था (ऊर्जा सुरक्षा, संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों की सुरक्षा, वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, और समुद्री व्यापार सुरक्षा)।

6. सदस्यों ने रोगजनक (Pathogen) अनुसंधान और पहुंच पर सहयोग का आह्वान किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नई दिल्ली घोषणापत्र का जनादेश:** नई दिल्ली घोषणापत्र डब्ल्यूएचओ (WHO) महामारी समझौते के पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (PABS) एनेक्स (संलग्नक) पर बातचीत में रचनात्मक जुड़ाव का आह्वान करता है।
- **संप्रभु अधिकारों की पुनः पुष्टि:** घोषणापत्र स्पष्ट रूप से अपने जैविक संसाधनों पर राज्यों के संप्रभु अधिकारों और राष्ट्रीय विधानों को लागू करने के उनके अधिकार की पुष्टि करता है।
- **PABS एनेक्स की रुकावट:** समग्र समझौते को अपनाने के बाद, अनसुलझा PABS एनेक्स मुख्य बाधा बना हुआ है जो सदस्य राज्यों द्वारा पूर्ण अनुसमर्थन को रोक रहा है।
- **संसाधन आवंटन के लिए रोडमैप:** एनेक्स का उद्देश्य टीकों, निदान और उपचारों के साथ-साथ खतरनाक रोगजनकों (pathogens) को साझा करने के लिए एक संरचित तंत्र बनाना है।
- **विवाद का मुख्य बिंदु:** देश इस बात पर विभाजित हैं कि क्या रोगजनक नमूनों को साझा करने को अनिवार्य रूप से परिणामी चिकित्सा लाभों तक न्यायसंगत पहुंच के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

Members call for cooperation over pathogen research, access

Anonna Dutt
New Delhi, September 13

THE NEW Delhi Declaration calls for constructive engagement in negotiations for the Pathogen Access and Benefit Sharing Annex to the WHO pandemic agreement "while reaffirming sovereign rights of States over their biological resources as well as the sovereign right to legislate and implement laws, including national access and benefit-sharing legislation".

Amid Covid-19 pandemic, the WHO planned to develop a legally binding pandemic agreement for better response to any future pandemic. While the agreement was adopted during last year's World Health Assembly, one annex continues to hold the agreement hostage. Once an agreement is reached on the Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) Annex, the pandemic agreement can be approved or ratified by member states. PABS Annex will create a roadmap for sharing of dangerous pathogens and medicines, diagnostics or vaccines developed. Countries are yet to agree on whether sharing of pathogen samples be linked mandatorily with sharing of benefits developed.

आवश्यक परिभाषाएँ

- **पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट-शेयरिंग (PABS):** एक बहुपक्षीय प्रणाली जिसे जैविक नमूनों के त्वरित प्रसार को सक्षम करने के साथ-साथ उनसे विकसित काउंटर-मेडिकल उपायों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **जैविक संप्रभुता (Biological Sovereignty):** घरेलू जैविक संसाधनों और आनुवंशिक सामग्रियों का प्रबंधन, विनियमन और स्वामित्व का प्रयोग करने का एक संप्रभु राज्य का पूर्ण कानूनी अधिकार।
- **डब्ल्यूएचओ महामारी समझौता:** वैश्विक महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत स्थापित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय तंत्र।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **नागोया प्रोटोकॉल (CBD):** आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण की गारंटी देने वाले जैव विविधता पर कन्वेंशन का पूरक समझौता।

- **अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम (IHR 2005):** अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों का पता लगाने, उनका मूल्यांकन करने और उनका जवाब देने के लिए वैश्विक दायित्वों की रूपरेखा तैयार करने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 (DPSP):** राज्य को अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का निर्देश देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानता है।

निष्कर्ष

PABS एनेक्स को अंतिम रूप देना WHO महामारी समझौते को क्रियान्वित करने और ऐतिहासिक स्वास्थ्य असमानताओं को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टीकों और उपचारों की गारंटीकृत पहुंच के साथ अनिवार्य रोगजनक नमूना साझाकरण को सुसंगत बनाना यह सुनिश्चित करेगा कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र भविष्य के प्रकोपों के खिलाफ समावेशी, पारदर्शी और लचीले बने रहें।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शासन (डब्ल्यूएचओ की भूमिका, बहुपक्षीय स्वास्थ्य कूटनीति, ग्लोबल साउथ इकिटी, और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ)।
- **GS पेपर III:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य (आनुवंशिक संसाधनों पर बौद्धिक संपदा अधिकार, जैव प्रौद्योगिकी, जैव सुरक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा)।

7. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग का समर्थन किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **UNSC विस्तार का समर्थन:** संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वैश्विक संस्थानों में संतुलन और समानता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करने के लिए ग्लोबल साउथ के आह्वान का समर्थन किया।
- **भारत सबसे आगे:** गुटेरेस ने बहुपक्षीय निकायों को 1945 के बजाय समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले संरचनात्मक सुधारों की वकालत करने में भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया।
- **विकासशील देशों के लिए नियम-निर्माता की भूमिका:** प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के अनुरूप, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ को "नियम-पालक" (rule-takers) से "नियम-निर्माता" (rule-shapers) के रूप में परिवर्तित करने पर जोर दिया।
- **नई दिल्ली घोषणापत्र का समर्थन:** ब्रिक्स नेताओं ने व्यापक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए समर्थन दोहराया, जिसमें चीन और रूस ने बड़ी भूमिका निभाने के लिए भारत और ब्राजील के समर्थन को दोहराया।
- **ब्रेटन वुड्स और वित्तीय सुधार:** रियायती वित्तपोषण का विस्तार करने और विकासशील देशों के लिए निजी निवेश जुटाने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC):** अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग, जिसमें 5 स्थायी वीटो-शक्ति प्राप्त सदस्य और 10 गैर-स्थायी सदस्य शामिल हैं।
- **ब्रेटन वुड्स प्रणाली:** 1944 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, जिसमें आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थान शामिल हैं, जिन्हें वैश्विक मौद्रिक और आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **बहुध्रुवीयता (Multipolarity):** वैश्विक शक्ति का ऐसा वितरण जिसमें दो से अधिक राष्ट्रों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के पास महत्वपूर्ण रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव होता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 108:** कानूनी संशोधन प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है जिसके लिए महासभा में दो-तिहाई वोट और UNSC के सभी पांच स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने का आदेश देता है।
- **जी4 (G4) गठबंधन ढांचा:** विस्तारित सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे की बोलियों का समर्थन करने वाला भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के बीच सामूहिक रणनीतिक गठबंधन।

निष्कर्ष

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव का स्पष्ट समर्थन वैश्विक शासन संरचना में सुधार की अनिवार्यता को मजबूत करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का आधुनिकीकरण न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने, समकालीन बहुध्रुवीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने और ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (संयुक्त राष्ट्र निकायों की संरचना और जनादेश, UNSC सुधार, वैश्विक शासन में भारत की भूमिका, ग्लोबल साउथ कूटनीति, और ब्रिक्स पहल)।
- **GS पेपर III:** अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय वास्तुकला (बहुपक्षीय विकास बैंक, ब्रेटन वुड्स संस्थान, और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तंत्र)।

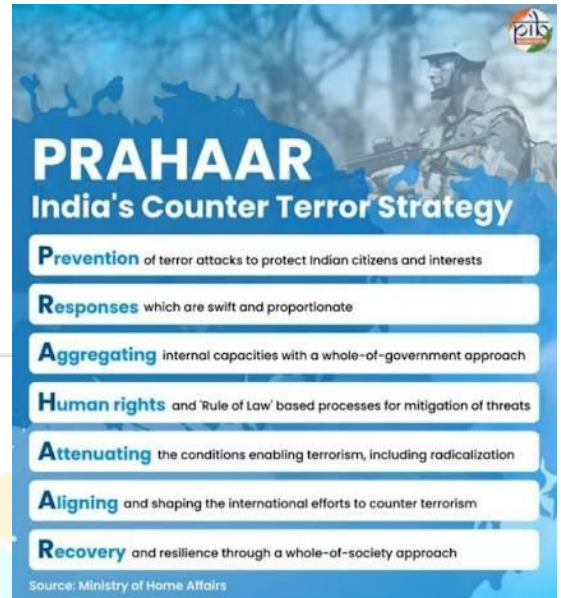
8. वैश्विक आतंकवाद का विकास और भारत की आतंकवाद-विरोधी रणनीति में बदलाव

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **वैश्विक सुरक्षा गतिशीलता का विकास:** 9/11 के बाद, वैश्विक आतंकवाद केंद्रीकृत, बड़े पैमाने के नेटवर्क से विकेंद्रीकृत, स्वायत्त संस्थाओं में बदल गया जो ड्रोन, साइबर सिस्टम और एआई जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं।
- **निष्क्रिय संयम से सक्रिय प्रतिक्रिया की ओर संक्रमण:** भारत का आतंकवाद विरोधी सिद्धांत प्रमुख ऐतिहासिक हमलों के बाद रक्षात्मक गैर-जवाबी कार्रवाई से बदलकर उच्च-प्रभाव वाले सीमा पार हमलों को

निष्पादित करने में स्थानांतरित हो गया है, जिसमें उरी (2016), बालाकोट (2019), और ऑपरेशन सिंदूर (2025) शामिल हैं।

- **रणनीतिक सीमाओं को पुनः परिभाषित करना:** ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने तीन मुख्य रुख संहिताबद्ध किए: सीमा पार आतंकवाद को 'युद्ध की कार्रवाई' मानना, परमाणु ब्लैकमेल को खारिज करना, और राज्य प्रायोजित छद्म युद्ध पर सीधा मूल्य थोपना।
- **आतंकवाद विरोधी ढांचे का संस्थागतकरण:** भारत ने फरवरी 2026 में अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति ('प्रहार' / PRAHAAR) का अनावरण किया, जिससे एक एकीकृत "संपूर्ण-सरकार" (whole-of-government) और "संपूर्ण-समाज" (whole-of-society) ढांचा स्थापित हुआ।
- **चार गुना आंतरिक और बाहरी कार्रवाई:** भारत का अद्यतन सामरिक ढांचा स्थानीय नेटवर्क को बेअसर करने, लॉन्चपैड पर पूर्व-नियोजित (pre-emptive) हमलों, व्यवस्थित कट्टरता-विरोधी पहलों, और वैश्विक सहयोग के माध्यम से आतंकवाद-वित्तपोषण चैनलों को अवरुद्ध करने पर केंद्रित है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **सीमा पार आतंकवाद:** राज्य प्रायोजित या राज्य द्वारा सुगम बनाया गया छद्म युद्ध जहाँ मिलिशिया समूह किसी अन्य राष्ट्र में सशस्त्र हमले करने के लिए विदेशी क्षेत्रों से काम करते हैं।
- **पूर्व-नियोजित सैन्य कार्रवाई (Pre-emptive Military Action):** नियोजित हमलों को निष्पादित होने से पहले रोकने के लिए आसन्न सुरक्षा खतरों या सक्रिय आतंकवादी लॉन्चपैड के खिलाफ किए गए रक्षात्मक सैन्य प्रहार।
- **प्रहार (PRAHAAR) नीति:** रोकथाम, सामरिक प्रतिक्रिया, कट्टरता-विरोधी और संस्थागत अंतर-एजेंसी समन्वय को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया भारत का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019:** संगठनों के साथ-साथ व्यक्तिगत आतंकवादियों को नामित करने और आतंक से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाकर वैधानिक ढांचे को बढ़ाता है।
- **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008:** राष्ट्रीय संप्रभुता को प्रभावित करने वाले आतंकवादी अपराधों की जांच करने के लिए क्षेत्राधिकार से परे (extraterritorial) अधिकार क्षेत्र वाली एक विशेष संघीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** सीमा पार हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, सुरक्षा बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य को निर्देशित करता है।

निष्कर्ष

भारत का आतंकवाद-विरोधी रुख निष्क्रिय राजनयिक अपीलों से बदलकर 'प्रहार' जैसे व्यापक वैधानिक ढाँचों द्वारा समर्थित निर्णायक, सक्रिय निवारण में परिवर्तित हो गया है। वित्तीय बुनियादी ढाँचे को ध्वस्त करके, रणनीतिक अस्पष्टता को खारिज करके, और सीमा पार जवाबदेही लागू करके, भारत राज्य नीति के एक उपकरण के रूप में आतंकवाद के उपयोग के खिलाफ वैश्विक सहमति का नेतृत्व करना जारी रखे हुए है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत की विदेश नीति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियाँ, आतंकवाद से मुकाबला करने में एससीओ और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों की भूमिका)।
- **GS पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा (राज्य/गैर-राज्य अभिनेताओं के बीच संबंध, आतंकवाद-विरोधी रणनीतियों का विकास, सीमा प्रबंधन, प्रहार नीति, और कानूनी आतंकवाद-विरोधी उपकरण)।

9. पाकिस्तान का पश्चिम की ओर झुकाव — रणनीतिक गहराई या अत्यधिक फैलाव

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पश्चिम एशिया में विस्तार:** पाकिस्तान ने सऊदी अरब-तुर्की-पाकिस्तान त्रिपक्षीय व्यवस्था में अपनी भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए 27 अगस्त 2026 को कुवैत के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **मक्का समझौते के माध्यम से संस्थागतीकरण:** 7 अगस्त को हस्ताक्षरित 'मक्का समझौते' ने एक सामूहिक-रक्षा खंड (collective-defence clause) पेश किया, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। इसके साथ ही सऊदी अरब में एक स्थायी सचिवालय की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता एक पाकिस्तानी महासचिव करेंगे।
- **गहरा होता रक्षा सहयोग:** यह त्रिपक्षीय गठबंधन सैन्य अंतर-संचालनीयता (interoperability), संयुक्त तकनीकी विकास और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **उभरती राजनयिक दुविधा:** सऊदी अरब पर हूती ड्रोन/मिसाइल हमलों का बढ़ना और बाब अल-मंदेब में समुद्री व्यवधान पाकिस्तान को रियाद के प्रति अपने सामूहिक रक्षा कर्तव्यों और ईरान के साथ अपने राजनयिक संबंधों के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है।
- **भारत के लिए निहितार्थ:** हालांकि पाकिस्तान अरब पूंजी और तुर्की तकनीक के माध्यम से सैद्धांतिक रणनीतिक गहराई हासिल करता है, लेकिन जटिल पश्चिम एशियाई प्रतिद्वंद्विता में उसकी संलिप्तता से रणनीतिक अति-विस्तार (strategic overstretch) और उसकी पूर्वी सीमा से संसाधनों के भटकने का जोखिम है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **रणनीतिक गहराई (Strategic Depth):** वह भौगोलिक या भू-राजनीतिक बफर जिसका उपयोग कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा को बढ़ाने, शुरुआती सैन्य झटकों को सहन करने और दीर्घकालिक परिचालन लचीलेपन को बनाए रखने के लिए करता है।

- **रणनीतिक अति-विस्तार (Strategic Overstretch):** एक ऐसी भेद्यता/कमजोरी जो तब उत्पन्न होती है जब कोई राज्य अपनी परिचालन क्षमता से परे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर अपने सैन्य, राजनयिक और वित्तीय संसाधनों को लगा देता है।
- **सामूहिक रक्षा खंड (Collective Defence Clause):** एक औपचारिक संधि का प्रावधान जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी व्यक्तिगत हस्ताक्षरकर्ता राज्य के खिलाफ सशस्त्र हमला कानूनी रूप से सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का आदेश देता है।
- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 51:** जब तक सुरक्षा परिषद कार्रवाई नहीं करती, तब तक संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला होने पर व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार को मान्यता देता है।
- **सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (CENTO फ्रेमवर्क):** शीत युद्ध के दौर का ऐतिहासिक पारस्परिक सुरक्षा समझौता (पूर्व में बगदाद पैक्ट) जिसने पहले पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और ब्रिटेन को जोड़ा था।

निष्कर्ष

पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की बढ़ती सुरक्षा प्रतिबद्धताएँ एक दोधारी तलवार प्रस्तुत करती हैं। खाड़ी देशों के साथ संबंधों को संस्थागत बनाने से सामरिक गहराई और लाभ मिलता है, लेकिन परस्पर विरोधी क्षेत्रीय गठबंधनों के बीच संतुलन बनाने से राजनयिक उलझन और रणनीतिक अति-विस्तार का जोखिम रहता है। यह स्थिति भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में अपनी आर्थिक साझेदारियों का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करती है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (भारत की पड़ोस नीति, पश्चिम एशिया कूटनीति, भारत की रणनीतिक सुरक्षा पर विदेशी नीतियों का प्रभाव, और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौते)।
- **GS पेपर III:** आंतरिक और बाहरी सुरक्षा (सीमाओं के साथ भू-राजनीतिक चुनौतियाँ, बाब अल-मंदेब/होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास समुद्री सुरक्षा, और रणनीतिक रक्षा योजना)।

10. ब्रिक्स (BRICS) में, भारत को NDB पर भरोसा करना चाहिए

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **आर्थिक-शासन बेमेल (Mismatch):** विस्तारित ब्रिक्स वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 40% और वैश्विक आबादी के 55% का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी आईएमएफ (IMF) में इसका वोटिंग शेयर असमान रूप से कम बना हुआ है।
- **भिन्न भू-राजनीतिक पहचान:** इस समूह में एकीकृत भू-राजनीतिक रुख का अभाव है, जो पश्चिम-विरोधी धुरी (रूस, चीन, ईरान) और गैर-पश्चिम अभिविन्यास (भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका) के बीच विभाजित है।

- **एनडीबी (NDB) का प्रदर्शन अंतर:** 2015 में स्थापित, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने 139 परियोजनाओं में \$43 बिलियन की मंजूरी दी है और \$20 बिलियन वितरित किए हैं, जो एशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से पीछे है, जिसने 350 परियोजनाओं में \$69 बिलियन की प्रतिबद्धता जताई है।
- **पूंजी और प्रतिबंधों की बाधा:** रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध पूंजी विस्तार को सीमित करते हैं और क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करते हैं। संस्थापक मतदान शेयरों में समानता (न्यूनतम 55% सामूहिक सीमा) शासन में बाधा उत्पन्न करती है।
- **रुपये मूल्य वर्ग के बॉन्ड को बढ़ावा देना:** भारत स्थानीय-मुद्रा वित्तपोषण का विस्तार करने और NDB निर्गमों में रेन्मिनबी (चीनी मुद्रा) के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से विलंबित ₹25,000 करोड़ के पांच वर्षीय रुपया बॉन्ड कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक।
- **स्थानीय-मुद्रा ऋण (Local-Currency Lending):** अमेरिकी डॉलर जैसी कठिन मुद्राओं के बजाय सदस्य देशों की घरेलू मुद्राओं में ऋण और बॉन्ड जारी करने की प्रथा, जिससे विदेशी मुद्रा जोखिम कम होता है।
- **डी-डॉलराइजेशन (De-dollarisation):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आरक्षित होल्डिंग्स और सीमा पार वित्तीय बस्तियों में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई रणनीतिक नीति।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक पर समझौता (2014):** NDB को नियंत्रित करने वाली मूलभूत संधि, जो मूल संस्थापक सदस्यों के बीच समान मतदान शक्ति को अनिवार्य बनाती है और पूंजी आवंटन को नियंत्रित करती है।
- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाएगा, जिससे शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999:** बाहरी वाणिज्यिक उधार, विदेशी निवेश और सीमा पार रुपये मूल्यवर्ग के बॉन्ड निर्गमों को विनियमित करने वाला वैधानिक ढांचा।

निष्कर्ष

एनडीबी को मजबूत करना भारत को चीन के भू-राजनीतिक प्रभुत्व में सहायता किए बिना ब्रिक्स की आर्थिक क्षमता को अधिकतम करने का एक व्यावहारिक अवसर प्रदान करता है। रुपया बॉन्ड जैसे स्थानीय-मुद्रा तंत्र को क्रियान्वित करने से विकासशील देशों के लिए वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों को मजबूती मिलेगी।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ कूटनीति, बहुपक्षीय वित्तीय निकायों में सुधार, और अंतर्राष्ट्रीय संधि ढांचा)।
- **GS पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा (बहुपक्षीय विकास बैंक, मुद्रा जोखिम प्रबंधन, स्थानीय मुद्रा व्यापार निपटान, और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण)।

11. विकृत शक्ति संबंध सुरक्षा परिषद को गैर-कार्यात्मक बनाते हैं: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **सुरक्षा परिषद का पक्षाघात (Paralysis):** संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि विकृत वैश्विक शक्ति संबंधों और महाशक्तियों के बीच दंडमुक्ति (impunity) की संस्कृति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गैर-कार्यात्मक बना दिया है।
- **प्रणालीगत ओवरहाल (Overhaul) का आह्वान:** इस बात पर जोर दिया गया कि केवल साधारण सुधार पर्याप्त नहीं हैं; सुरक्षा परिषद और ब्रेटन वुड्स संस्थानों (आईएमएफ/विश्व बैंक) का कार्याकल्प करने की आवश्यकता है ताकि 1945 के बजाय वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके।
- **मध्यस्थता के लिए भारत की प्रशंसा:** रूस और यूक्रेन के बीच शांति और विश्वास के लिए परिस्थितियां बनाने में एक विश्वसनीय सेतु-निर्माता और मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की।
- **कानूनी प्रवर्तन का अभाव:** संघर्षों के दौरान राज्यों द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने या उन्हें दंडित करने के लिए प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की अनुपस्थिति को रेखांकित किया गया।
- **नेविगेशनल स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा:** आवश्यक वस्तुओं के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के लिए बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक चोकपॉइंट्स में नेविगेशन की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।



आवश्यक परिभाषाएँ

- **पर्सोना नॉन ग्राटा (Persona Non Grata):** एक विदेशी राजनयिक व्यक्ति जिसे औपचारिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है या मेजबान संप्रभु सरकार के लिए अस्वीकार्य घोषित किया गया है।
- **ब्रेटन वुड्स प्रणाली:** 1944 में स्थापित वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था, जिसमें आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थान शामिल हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **नरसंहार / जनसंहार (कानूनी संदर्भ):** किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह का जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश, जिसका कानूनी निर्धारण आईसीसी (ICC) जैसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत के क्षेत्राधिकार में आता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 108:** संयुक्त राष्ट्र चार्टर को संशोधित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसके लिए महासभा में दो-तिहाई बहुमत और सभी पांच स्थायी UNSC सदस्यों द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 (DPSP):** राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करने का आदेश देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का संविधि और रोम संविधि (ICC):** अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों, युद्ध अपराधों और संप्रभु राष्ट्रों के बीच विवादों पर न्यायिक निर्णयों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे।

निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भीतर संरचनात्मक गतिरोध अंतर्राष्ट्रीय शासन तंत्र को समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं के साथ पुनर्गठित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ाना और बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार करना वैश्विक राजनयिक विश्वास को बहाल करने, अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा करने और वैश्विक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मौलिक बना हुआ है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर II:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना, कामकाज और सुधार, ब्रेटन वुड्स संस्थान, वैश्विक मध्यस्थ के रूप में भारत की भूमिका, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुपालन)।
- **GS पेपर III:** सुरक्षा और अर्थव्यवस्था (वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की भेद्यता, प्रमुख जलडमरूमध्य में समुद्री नौवहन की स्वतंत्रता, और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के आर्थिक प्रभाव)।

12. इस साल अक्टूबर-दिसंबर के दौरान एलनिनो चरम पर होगा: अमेरिकी जलवायु एजेंसी

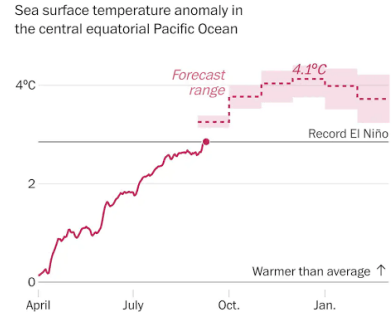
मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **चरम चरण का पूर्वानुमान:** अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) ने चेतावनी दी है कि जारी एल नीनो (El Niño) घटना अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान अपनी चरम तीव्रता तक पहुंचने के लिए तैयार है।
- **ऐतिहासिक जलवायु घटना:** 2026 की एल नीनो परिघटना के 1950 के बाद से दर्ज की गई सबसे तीव्र घटनाओं में से एक होने का अनुमान है।
- **समुद्र के गर्म होने का रुझान:** अगस्त में प्रमुख नीनो क्षेत्रों में समुद्र की सतह का तापमान काफी बढ़ गया, जो औसत से 1.8°C से 3°C अधिक दर्ज किया गया।
- **नीनो सूचकांक का तीव्र होना:** जून-अगस्त की अवधि के लिए नीनो सूचकांक बढ़कर 1.4°C हो गया, जो कि पिछले मई-जुलाई की अवधि से 0.4°C की वृद्धि दर्शाता है।
- **'अत्यंत मजबूत' श्रेणी की उच्च संभावना:** NOAA रिपोर्ट करता है कि 90% से अधिक संभावना है कि यह परिघटना 'अत्यंत मजबूत' (very strong) श्रेणी में बदल जाएगी और शीतकालीन सत्र तक बनी रहेगी।

- **वैश्विक जलवायु परिणाम:** यह तीव्र होती स्थिति वैश्विक मौसम की विसंगतियों के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे गंभीर लू (heatwaves), परिवर्तित वर्षा वितरण और लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है।

आवश्यक परिभाषाएँ

- **एल नीनो (El Niño):** एक जटिल जलवायु पैटर्न जिसमें मध्य और पूर्वी भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के पानी का आवधिक, असामान्य रूप से गर्म होना शामिल है।
- **एल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO):** उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में महासागर के तापमान और वायुमंडलीय दबाव के पैटर्न में उतार-चढ़ाव से चक्रिय जलवायु परिवर्तन।
- **नीनो सूचकांक (Niño Index):** भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के निर्दिष्ट क्षेत्रों में समुद्र की सतह के तापमान की विसंगतियों को ट्रैक करने के लिए मौसम विज्ञानियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मानकीकृत मीट्रिक।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A (DPSP):** यह अनिवार्य करता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:** गंभीर सूखे जैसे चरम जलवायु खतरों के लिए राष्ट्रीय आपदा तैयारी, शमन और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** जलवायु जोखिमों को कम करने और प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में जलवायु लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत का समग्र नीतिगत दिशानिर्देश।

निष्कर्ष

ऐतिहासिक एल नीनो के चरम पर पहुँचने का पूर्वानुमान सक्रिय जलवायु अनुकूलन उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। कृषि उपज, जल भंडार और मौसम के पैटर्न पर इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए एकीकृत आपदा प्रबंधन रणनीतियों और दीर्घकालिक जलवायु लचीलापन योजना की आवश्यकता है।

UPSC प्रासंगिकता

- **GS पेपर I:** भूगोल (विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, ENSO गतिशीलता, एल नीनो और भारतीय मानसून संबंध)।
- **GS पेपर III:** पर्यावरण और आपदा प्रबंधन (जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, कृषि भेद्यता, सूखा प्रबंधन ढांचा, और NOAA/IMD पूर्वानुमान तंत्र)।

SEPTEMBER 14, 2026

